भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *318

10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों का वर्गीकरण

***318 श्री गौतम सिगामणि पोन:**

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों को छोटे, सीमान्त और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) से संबंधित किसानों के रूप में वर्गीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कृषि भूधारिता का औसत आकार छोटा एवं सीमांत है और यह किसानों के लिए लाभकारी भी नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट के अनुसार देश में कृषि क्षेत्र से होने वाली आय 85 प्रतिशत किसान परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा लघु भूधारिताओं के लिए कोई किफायती प्रभावी तकनीक विकसित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) छोटे एवं सीमान्त किसानों को ऐसी तकनीक और सहायता प्रदान करने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है तथा लघु भूधारिता को और अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ किसानों का वर्गीकरण के संबंध में श्री गौतम सिगामणि पोन, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 318 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क): कृषि संगणना में परिचालनात्मक जोतों को तीन विशेष समूहों में श्रेणीवद्ध किया जाता है यथा- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य और निम्नलिखित पांच आकार श्रेणियों में श्रेणीवद्ध किया जाता है:

क्र.सं.	श्रेणी	आकार- श्रेणी
1.	सीमांत	1.00 हैक्टे .से कम
2.	लघु	1.00 - 2.00 हैक्टे.
3.	अर्द्ध मध्यम	2.00 - 4.00 हैक्टे.
4.	मध्यम	4.00 - 10.00 हैक्टे.
5.	बड़े	10.00 हैक्टे . और इससे अधिक

(ख) और (ग): नवीनतम कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के दौरान भू-जोतों का औसत आकार 1.08 हैक्टेयर था। प्रचालनात्मक जोतों के औसत आकार का राज्यवार विवरण अनुबंध पर है। छोटे और सीमांत किसानों के पारिश्रमिक को बढ़ाने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), नीम लेपित यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-एनएएम), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने की योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम) का कार्यान्वयन, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करके ब्याज छूट योजना, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 का अधिनियमन जैसी कई योजनाएं लागू कर रही है। साथ ही, किसानों के लिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये की 'कृषि अवसंरचना निधि' प्रदान की गई है।

(घ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत भारतीय खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आईआईएफएसआर) देश में छोटे और सीमांत किसानों के उपयोग के लिए किसान प्रौद्योगिकियों के विकास और उपकरण के लिए समेकित खेती प्रणाली (आईएफएस) पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) का

कार्यान्वयन करता है। खेती प्रणाली मोड में मूल्यांकित और परिष्कृत प्रमुख कृषि प्रौद्योगिकियों का विवरण निम्नलिखित है:

- 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विकसित 60 तदनुकूल प्रोटोटाइप समेकित खेती प्रणाली माडयूल विकसित।
- 19 राज्यों में 63 खेती प्रणाली परिष्कृत।

(ङ.): सरकार ने छोटी जोतों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए उनकी उत्पादकता में सुधार हेतु अनेक उपाय किए हैं। इनमें आधुनिक प्रौद्योगिकियां और पद्धतियां जैसे बहु-फसलन, अंतर फसलन और समेकित खेती प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देना शामिल है। राज्यों के लिए विकसित समेकित खेती प्रणाली (आईएफएस) माड्यूल को संबंधित राज्य सरकारों की प्रणालियों के पैकेज में शामिल किया गया है। इन्हें किसान सहभागिता परिष्करण और समेकित खेती प्रणालियों के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों के बीच लोकप्रिय बनाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भी कृषि जोतों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थल विशिष्ट किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

अनुबंध

कृषि संगणना 2015-16 के परिणामों के अनुसार जोत का राज्यवार औसत आकार		
क्र.सं.	**राज्य/संघ शासित राज्य**	**जोत का औसत आकार (हैक्टेयर में)**
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1.78
2	आंध्र प्रदेश	0.94
3	अरुणाचल प्रदेश	3.35
4	असम	1.09
5	बिहार	0.39
6	चंडीगढ़	1.22
7	छत्तीसगढ	1.24
8	दादर व नगर हवेली	1.38
9	दमन और दीव	0.36
10	दिल्ली	1.39
11	गोवा	1.10
12	गुजरात	1.88
13	हरियाणा	2.22
14	हिमाचल प्रदेश	0.95
15	जम्मू और कश्मीर	0.59
16	झारखंड	1.10
17	कर्नाटक	1.36
18	केरल	0.18
19	लक्षद्वीप	0.27
20	मध्य प्रदेश	1.57
21	महाराष्ट्र	1.34
22	मणिपुर	1.14
23	मेघालय	1.29
24	मिजोरम	1.25
25	नागालैंड	4.87
26	ओडिशा	0.95
27	पुदुचेरी	0.62
28	पंजाब	3.62
29	राजस्थान	2.73
30	सिक्किम	1.27
31	तमिलनाडु	0.75
32	तेलंगाना	1.00
33	त्रिपुरा	0.49
34	उत्तर प्रदेश	0.73
35	उत्तराखंड	0.85
36	पश्चिम बंगाल	0.76
अखिल भारत		**1.08**

*****